322

326

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड खंडपीठ रीवा, संभाग- रीवा (म.प्र.)

रामबहोर लोनिया, पिता जौहरी लोनिया, साकिन-भम्हरहा, तह0-गोपदबनास
थाना कोतवाली, सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.) ----आवेदक/निग.

बनाम

R.3417-I/12

रघुनाथ तनय श्री कन्हैय यादव साकिन भमरहा, तह0-गोपदबनास थाना कोतवाली
सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)

------अनावेदकगण/गैर निग.

2. म.प्र. शासन

अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि0 5-9-2012

5/9/12

561
5/9/12

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तह0-गोपदबनास जिला-सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्र.क्र. 143-अ-12/11-12 जिसके द्वारा निहायत विधि विरुद्ध ढंग से सीमांकन पुष्टि का आदेश पारित किया गया हैं।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

1-10-12

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्ना आशय की पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा हैं:-

0 प्रकरण के समक्ष तथ्य=-
================

01:- यह कि अनावेदक क्र. 01 द्वारा ग्राम भमरहा की आराजी खसरा क्र. 115 85/2, 111, 119, किता 4 के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह0-गोपदबनास के न्यायालय में पेश किया गया जहां पर न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 143/अ-12/11X12 में पंजीबद्ध किया जाकर पटवारी व राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के

रामबहोर

क्रमशः 2

52

(326)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–3417-I / 12 जिला–सीधी

रामबहोर लोनिया / रघुनाथ यादव

(1)	(2)
18.12.18 -	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 143 / अ–12 / 2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

पटवारी व राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के

रामबहोर

क्रमशः 2